निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 89/16 दावा
दायरा दिनांक :– 01.06.2016
निर्णय दिनांक :– 7 7-17

उनवान

राजेन्द्र मुतबन्ना छीतरलाल जाति गुर्जर गाडरी निवासी हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारा

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 7-7-2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 386/284 रकबा 15 बिस्वा किस्म बरानी प्रथम हरनावदा जागीर पटवार हल्का पछाड़ तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 168 सम्वत 2021 ता 74 से रूकमा बेवा छीतर जाति गाडरी सा. देह से दर्ज जमाबंदी एवं वादी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। आज से 25 वर्ष पूर्व जब वादी 4 वर्ष का था, तब वादी को रूकमाबाई व छीतरलाल ने वादी के पिता देवलाल व उसकी पत्नी की सहमति से सामाजिक रिवाजो के अनुसार गोद ले लिया था, गोद की रस्म ग्राम हरनावदा जागीर मे मकर संक्रान्ति को सम्पन्न की गई थी, तथा वादी के जायन्दा माता–पिता ने वादी को रूकमाबाई व छीतरलाल की गोद मे रस था, तब छीतरलाल जी व रूकमाबाई ने ऐलान किया था, कि राजेन्द्र आज से हमारा पुत्र होगा त हमारी चल–अचल सम्पत्ति मे पुत्र की हैसियत से वारिस व उत्तराधिकारी होगा तथा उक्त रस्म अदायगी पर गांव मे मिठाईयॉ बाटी गई थी।

वादी के दत्तक पिता श्री छीतरलाल जी का स्वर्गवास होने पर उनका संस्कार वादी द्वारा किया गया तथा समस्त क्रियाकर्म, गंगाजल की रसोई इत्यादि कार्यक्रम वादी सम्पन्न कराये गये तथा गांव व समाज के व्यक्तियो के समक्ष छीतरलाल जी की पगडी भी वादी बंधी है। वादी की दत्तक माता रूकमाबाई की मृत्यु होने के बाद उनका दाह संस्कार वादी द्वारा गया तथा समस्त क्रियाकर्म, गंगाजल की रसोई इत्यादि कार्यक्रम वादी द्वारा सम्पन्न कराये गये के दत्तक माता–पिता रूकमाबाई व छीतरलाल जी के वादी के अलावा अन्य कोई वारिस व

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उत्तराधिकारी नही है, उनकी कोई जायन्दा सन्तान नही है। वादी के दत्तक माता–पिता के स्वर्गवास के बाद वादी की दत्तक माता रूकमाबाई के नाम दर्ज आराजी वादी के कब्जे काश्त मे बिना किसी व्यवधान के चली आ रही है। वादी ने उक्त वर्णित आराजी को जब वादी की दत्तक माता रूकमाबाई का स्वर्गवास हो गया तब वादी के नाम दर्ज करवाने का निवेदन राजस्व कर्मचारियो से किया गया तो उन्होने उक्त आराजी वादी के खातेदारी मे दर्ज नही की इसलिए वादी के लिये माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। वादी ने दिनांक 18.05.2016 को प्रतिवादी से उक्त वर्णित आराजी को वादी के खातेदारी मे दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उन्होने उक्त आराजी को वादी के खातेदारी मे दर्ज नही की यही तिथि बिनाय मुखस्मत दावा हाजा करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतवादी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी ने अपने जवाब मे बताया कि भूमि खातेदारी की है। प्रार्थी को वैधानिक रूप से गोद रखा या नही यह सिद्व करने का भार वादी का है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया एवं नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदा जागीर सम्वत् 2071–76 खाता संख्या 168 पेश की गई। साक्ष्य वादी में राजेन्द्र, राधेश्याम, घनश्याम के शपथ–पत्र पेश किये। प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.04.2017 का पंच नामा सादा कागज पर पेश किया। सरपंच ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा दिनांक 30.01.2017 को जारी प्रमाण–पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है, कि विवादित आराजी खसरा नंबर 386/284 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम हरनावदा जागीर मे स्थित है। उक्त भूमि रूकमा बेवा छीतर जाति गाडरी के खाते मे एवं वादी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। वादी को 25 वर्ष पूर्व जब वादी 4 वर्ष का था, तब रूकमा बाई व छीतरलाल ने वादी के पिता देवलाल व उसकी पत्नी की सहमती से सामाजिक रीति रिवाजो के आधार पर गोद लिया था। गोद की रस्मे ग्राम हरनावदा जागीर मे मकर सक्रान्ति को सम्पन्न की गई। छीतरलाल व रूकमा बाई गोद की रस्म पूरी होने के बाद सभी के सामने यह कहा कि राजेन्द्र आज से हमारा पुत्र होगा, तथा हमारी चल–अचल सम्पत्ति मे पुत्र की हैसियत से वारिस व उत्तराधिकारी होगा। वादी के दत्तक पिता छीतरलाल जी का स्वर्गवास होने पर उनका दाग संस्कार व समस्त क्रियाक्रम एवं गंगाजल की रसोई वादी द्वारा की गई थी। समाज के व्यक्तियो के समक्ष छीतरलाल की पगडी वादी के ही बंधी थी इसी प्रकार दत्तक माता रूकमा बाई की मृत्यु होने के बाद उनका दाह संस्कार, क्रियाक्रम ए गंगाजल की रसोई इत्यादि वादी द्वारा की गई। वादी के दत्तक माता–पिता, रूकमा बाई छीतरलाल जी के, वादी के अलावा अन्य कोई वारिस व उत्तराधिकारी नही है। उनकी कोई जायन्त सन्तान भी नही है। वादी के दत्तक माता–पिता के स्वर्गवास के बाद वादी की दत्तक माता रूक बाई के नाम दर्ज आराजी वादी के कब्जे काश्त मे बिना किसी व्यवधान के चली आ रही है। वादी दत्तक माता रूकमा बाई का स्वर्गवास होने के बाद विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज करने राजस्व कर्मचारीयों से निवेदन किया, परन्तु उक्त विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज नही की ग मृतक खातेदार रूकमा बाई का एक मात्र दत्तक पुत्र वादी ही है। उक्त विवादित आराजी वादी अप

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी है। विवादित भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि पर लम्बे समय से कब्जे काश्त होने के कारण एवं रूकमा बाई का दत्तक पुत्र होने के कारण वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदा जागीर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 168 के अनुसार रूकमा बेवा छीतर जाति गाडरी के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। सरंपच ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा दिनांक 30.01.2017 को जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर रूकमा बाई बेवा छीतरलाल जाति गाडरी निवासी हरनावदा जागीर लाऔलाद फोत होना बताया है, तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त एक मात्र वारिस व गोद पुत्र राजेन्द्र पुत्र देवलाल जाति गाडरी निवासी हरनावदा जागीर होना व अन्य कोई वारिस या जीवित उत्तराधिकारी नही होना बताया है। प्रस्तुत पंच नामा के अनुसार रूकमा बाई पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी हरनावदा जागीर ने अपने जीवन काल मे ही राजेन्द्र पुत्र देवलाल निवासी हरनावदा जागीर को गोद पुत्र के रूप में 5 पंचो के समक्ष स्वीकार किया था, और रूकमा बाई के कोई अन्य सन्तान भी नही है। रूकमा बाई का वेध वारिस एवं कायम मुकाम एक मात्र राजेन्द्र कुमार ही है। प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेज के अनुसार व प्रस्तुत गवाहो के शपथ–पत्र के अनुसार मृतक रूकमा बाई व मृतक छीतरलाल का कोई वारिस होना नही पाया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा अपने जारी प्रमाण–पत्र में मृतक रूकमा बाई को कोई वारिस नही होना एवं लाऔलाद फोत होना बताया है। वादीगण को ही एक मात्र वारिस व दत्तक पुत्र होना बताया है। इससे यही साबित होता है, कि मृतक रूकमा बाई के कोई औलाद नही थी। इसलिए वादीगण को मृतक रूकमा बाई व छीतरलाल द्वारा गोद पुत्र रखा गया था। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरनावदा जागीर के खसरा नंबर 386/284 रकबा 15 बिस्वा पर वादी को मृतक रूकमाबाई के स्थान पर गोद पुत्र दर्ज किया जावे एवं मृतक रूकमाबाई के वाारिस हों तो वादी के साथ सहखातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 89/2016 | धारा अन्तर्गत 88, RTA | निर्णय दिनांक 7.7.17

समक्ष श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां

उपस्थिति अभिभाषक वादी श्री ललित कुमार शर्मा | अभिभाषक प्रतिवादी –

वाद शीर्षक

उनवान

राजेन्द्र मृतबन्ना छीतरलाल जाति गुर्जर गाडरी निवासी हरनावदा जागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरनावदा जागी खसरा नंबर 386/284 रकबा 15 बिस्वा पर वादी को मृतक रूकमाबाई के स्थान पर गोद पुत्र दर्ज जावे एवं मृतक रूकमाबाई के वारिस हों तो वादी के साथ सहखातेदार दर्ज करने हेतु तहसी छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 7.7.17 को निर्गत किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधि
छीपाबड़ौद जिला
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner